रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 64] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 11, 2010/माघ 22, 1931

No. 64] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 11, 2010/MAGHA 22, 1931

नागर विमानन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 फरवरी, 2010

सा.का.नि. 73(अ).—भारतीय आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 27) की धारा 51 की उप-धारा (2) के उप-खंड (क) के साथ धारा 6 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए केन्द्र सरकार भारतीय आर्थिक विनियामक प्राधिकरण के नियम, 2009 के (अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते और अन्य सेवा शर्तों) निम्नलिखित नियमों में संशोधन करती है :—

1. (1) इन नियमों को भारतीय आर्थिक विनियामक प्राधिकरण, संशोधन नियम, 2010 (अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते और अन्य सेवा शर्तों) कहा जा सकता है ।

(2) ये अपने अधिकारिक राजपत्र के प्रकाशन की तारीख से प्रभाव में होगा ।

2. भारतीय आर्थिक विनियामक प्राधिकरण के नियम, 2009 के (अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते और अन्य सेवा शर्तों) उप-नियम (2) के लिए नियम 3 में निम्नलिखित उप-नियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, जिनके नाम हैं :-

"(2) सदस्य पे-बैंड 'एचएजी' में रुपये 67,000 से (3 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि की दर से) रुपये 79,000 के वेतनमान में मासिक वेतन के पात्र होंगे ।"

[फा. सं. एवी. 24011/003/2009-एएआई]

आलोक सिन्हा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th February, 2010

G.S.R. 73(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 6 read with clause (a) of sub-section (2) of Section 51 of the Airports Economic Regulatory Authority of India Act, 2008 (27 of 2008), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Airports Economic Regulatory Authority of India (Salaries, Allowances and other Conditions of Service of the Chairperson and Members) Rules, 2009, namely :—

1. (1) These rules may be called the Airports Economic Regulatory Authority of India (Salaries, Allowances and other Conditions of Service of the Chairperson and Members) Amendment Rules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Airports Economic Regulatory Authority of India (Salaries, Allowances, and other Conditions of Service of the Chairperson and Members) Rules, 2009, in rule 3, for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(2) The Member shall be entitled to a monthly salary in the Pay Band 'HAG' in the scale of Rs.67,000 (annual increment @3%) - 79,000."

[F. No. AV. 24011/003/2009-AAI]

ALOK SINHA, Jt. Secy.

IndiaCode

550 GI/2010

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.